मध्यप्रदेश शासन

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

बल्लभ भवन, मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक: 10/2018/सत्रह/मेडि-2 भोपाल, दिनांक 04/01/2018

प्रति,

1. जिला कलेक्टर समस्त जिले (म.प्र.)
2. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी, समस्त जिले, म.प्र.
3. सिविल सर्जन सह अस्पताल अधीक्षक, समस्त जिले, म.प्र
4. विकास खण्ड चिकित्सा अधिकारी समस्त जिले, म.प्र

विषय: "समाधान एक दिन-तत्काल सेवा" व्यवस्था के अंतर्गत प्रसूति अवकाश सहायता योजना को स्वीकृत करने विषयक।

1. सेवा का उद्देश्य :- तत्काल सेवा प्रदाय करने के उद्देश्य से एक दिवस में निम्नानुसार श्रमिक संवर्ग की योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत परिवारों को प्रसूति अवकाश सहायता योजना का लाभ (60 दिवस की मजदूरी के समतुल्य राशि का भुगतान) किया जाना है :-

1. मुख्य मंत्री मजदूर सुरक्षा योजना
2. म.प्र. भवन निर्माण एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार मंडल
3. म.प्र. हम्माल एवं तुलाव्टी कल्याण योजना
4. म.प्र. शहरी घरेलू कामकाजी महिला कल्याण योजना
5. म.प्र. हाथठेला एवं रिक्शा चालक योजना
6. मुख्य मंत्री (पथ में विक्रय करने वाले, फेरीवाले) शहरी गरीबो के लिए कल्याण योजना
7. मुख्य मंत्री केश शिल्प्ली योजना।

2. पदाभिहित अधिकारी का पद नाम एवं समय सीमा :-

जिला कलेक्टर द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, समय सीमा 1 दिवस

3. पात्रता के मापदंड :-

1. श्रमिक संवर्ग की योजना में प्रसव के पूर्व पंजीकृत होना अनिवार्य है।
2. शासकीय स्वास्थ्य संस्था में प्रसव होने पर इस योजना का लाभ लिया जाता है।
3. अधिकतम 2 प्रसव पर सुविधा प्रदान की जाती है।

Scanned by CamScanner

. आवश्यक दस्तावेज एवं परीक्षण की प्रक्रिया :-

क्र	आवश्यक दस्तावेज	परिक्षण की प्रक्रिया
1.	1. श्रमिक संवर्ग की उपरोक्त चिन्हित योजना में प्रसव के पूर्व पति अथवा पत्नी का पंजीकृत होने का प्रमाण (पंजीयन कार्ड) 2. शासकीय संस्थागत प्रसव का प्रमाण पत्र 3. अधिकत्तम दो प्रसव का प्रमाण पत्र 4. समग्र आई डी 5. मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य कार्ड 6. आधार कार्ड की प्रतिलिपि 7. आधार लिंक बैक खाते की पासबुक की प्रति	- आवेदक द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज के आधार पर - समग्र पोर्टल से

5. **आवेदन करने का स्थान :-** लोक सेवा केंद्र

6. आवेदन करने की प्रंक्रिया :-

6.1 पात्रता अनुसार पूर्ण दस्तावेज सहित आवेदन लोक सेवा केंद्र में स्वीकार किये जायेंगे।

6.2 आवेदन का पंजीयन लोक सेवा केंद्र पर ऑपरेटर द्वारा ऑनलाइन किया जाएगा।

6.3 आवेदन प्रस्तुति की अभिस्वीकृति लोक सेवा प्रदाय की गारंटी अधिनियम की धारा 5 (1) के अंतर्गत संलग्न प्रारूप में आवेदक को प्रदाय की जावेगी।

6.4 आवेदन भरते समय आवेदक/अन्य किसी सबंधित व्यक्ति का मोबाईल भरना नम्बर अनिवार्य होगा इसके अलावा अगर आधार एवं ईमेल एड्रेस (यदि उपलब्ध हो) भी भरा जायेगा I

6.5 आवेदन का पंजीयन लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी (आवेदन, अपील, पुनरीक्षण, शास्ति की वसूली, प्रतिकर का भुगतान) नियम 2010 के नियम-16 में निर्धारित पंजी में किया जायेगा।

7 .**आवेदन निराकरण करने की प्रक्रिया-**

7.1 लोक सेवा केंद्र ऑपरेटर द्वारा आवेदन सबमिट करते ही आवेदन ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर संबंधित पदाभिहित अधिकारी के एकाउंट में प्रदर्शित होने लगेगा।

Scanned by CamScanner

7.2 पदाभिहित अधिकारी द्वारा कंडिका 4 अनुसार पात्रता एवं दस्तावेज का परीक्षण किया जाएगा।

7.3 यदि आवेदक पात्र है तो पदाभिहित अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का निराकरण कर स्वीकृति आदेश जारी करते हुए स्वीकृति आदेश की प्रति mpedistrict पोर्टल पर भी अपलोड किया जायेगा।

7.4 स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी द्वारा स्वीकृति आदेश अनुसार अधिकतम 10 दिवस में राशि का भुगतान हितग्राही के बैंक खाते में किया जायेग। (इसका उल्लेख स्वीकृति आदेश में भी होगा)

7.5 यदि आवेदक अपात्र है तो आपात्रता का स्पष्ट युक्तियुक्त कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक होगा।

7.6 इस तरह जारी होने वाली समस्त पंजीयन/सूचनाओं की एक डिजीटल रिपोजटरी वेबसाईट/पोर्टल पर संधारित की जायेगी।

8. शुल्क -

8.1 विभाग द्वारा इस सेवा के लिए किसी भी प्रकार को कोई शुल्क नहीं है।

8.2 लोक सेवा केंद्र से आवेदन करने पर निर्धारित शुल्क केंद संचालक को देना होगा।

9 अपीलः- समाधान एक दिवस प्रक्रिया में भी अधिनियम अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार आवेदक लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 के अंतर्गत प्रावधानों अनुसार अपील कर सकेगा।

(गौरी सिंह)
प्रमुख सचिव
लोक स्वास्थ्य एवं परिवार
कल्याण विभाग(म.प्र.)

Scanned by CamScanner